NJESR/February2025/Volume-7/Issue-2 E-ISSN-2582-5836
DOI-10.53571/NJESR.2025.7.2.11-19

हनुमानगढ़ जिले में महिलाओं के स्वास्थ्य , आर्थिक स्थिति पर दुष्कर्म के प्रभाव का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. परविन्द्रजीत सिंह
प्राचार्य
संत श्री प्राणनाथ परनामी पी जी कॉलेज पदमपुर

(Received -10 January 2025/Revised-20 January 2025/Accepted-29 January 2025/Published -22 February 2025)

साराशं -

दुष्कर्म एक सार्वभौमिक रूप से घटित होने वाली परिघटना है। दुष्कर्म पीड़िता के प्रति रखी जाने वाली नकारात्मक अभिवृत्ति भी सार्वभौमिक है जो भिन्न- भिन्न प्रकार के समाजों और संस्कृतियों में भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। परन्तु इसके विपरीत मानवशास्त्रियों ने यह माना कि दुष्कर्म सभी समाजों में घटित होने वाली परिघटना नहीं है। अधिकतर समाजों में यही माना जाता रहा कि दुष्कर्म सभी समाजों में समान रूप से नहीं पाया जाता है, जब तक कि नारीवादियों ने इस संबंध में अपने विचारों को प्रकट नहीं किया था। पुरुषों को महिलाओं के प्रति अपराध करने, हिंसक होने, अपशब्दावली बोलने या निर्दयी होने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है ? अपराधिक हिंसा के सम्बन्ध में तीन सम्प्रदाय इस प्रकार हैं जो महिलाओं के प्रति पुरुषों का हिंसात्मक व्यवहार और महिलाओं के प्रति पुरुषों के हिंसात्मक यौन व्यवहारों एवं अपराधों की व्याख्या करते हैं। दुष्कर्म एक गंभीर समस्या है और भारत में यह समस्या दिन प्रतिदिन अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। जबकि पहले की अपेक्षा बेहतर तकनीक से लेस पुलिस बल, फास्ट ट्रेक न्यायालय की सुविधा, पहले की अपेक्षा अधिक सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान उपलब्ध हैं। उसके बावजूद न तो दुष्कर्म की घटनाओं में कमी आ रही है और न ही दुष्कर्म पीड़िता की स्थिति सुधर रही है। दुष्कर्म की घटनाओं को पूर्णतया रोकना संभव नही है। परन्तु समाज की पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को बदल कर पीड़िता के जीवन को सरल अवश्य बनाया जा सकता है।

शब्द कुंजी - हिंसात्मक व्यवहार, नकारात्मक अभिवृत्ति, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान।

1.1 परिचय -

दुष्कर्म का शाब्दिक अर्थ है बलपूर्वक किया गया कोई कार्य, लेकिन अपराधिक सन्दर्भ में, बलपूर्वक किए गये सभी कार्य दुष्कर्म नहीं है। वस्तुतः बलपूर्वक किसी महिला के साथ किया गया मैथुन या शारीरिक संसर्ग ही दुष्कर्म कहलाता है। दुष्कर्म की परिभाषा समय के साथ बदलती रहती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और धारा 376 दुष्कर्म से ही संबंधित है । धारा 375 में जहां दुष्कर्म को परिभाषित किया गया है, वहीं धारा 376 में दुष्कर्म के लिए दिए जाने वाले दंड का प्रावधान है। दुष्कर्म दंड संहिता (आई० पी० सी० इंडियन पेनेल कोड) की धारा 375 में दुष्कर्म को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में महिला के साथ किया गया मैथुन, दुष्कर्म की श्रेणी में आता है।

सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना अथवा उसे डरा-धमका कर किसी स्त्री के साथ किया गया सहवास, दुष्कर्म के दायरे में आता है। भारतीय दंड संहिता के मुताबिक यदि किसी कन्या की आयु 16 वर्ष से कम हो तो उसके साथ उसकी सहमति से किया गया सहवास भी दुष्कर्म की ही श्रेणी में आता है। 2013 में निर्भया दुष्कर्म हत्याकाण्ड के बाद दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म जैसे अपराधों के लिए नए और सख्त कानून बनाए गए हैं, उसके कुछ अहम् बिंदु इस प्रकार हैं:

- दुष्कर्म की परिभाषा अब और अधिक विस्तृत कर दी गई है। 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ उसकी मर्जी या मर्जी के खिलाफ संबंध दुष्कर्म माना जाएगा।
- आईपीसी की धारा 375 के तहत रेप के दायरे में जबरन शारीरिक संबंध बनाना या अप्राकृतिक संबंध बनाना, ओरल सेक्स आदि को रखा गया है। साथ ही, प्राइवेट पार्ट के पेनेट्रेशन के अलावा किसी अन्य चीज के पेनेट्रेशन को भी इस दायरे में रखा गया है।

- दुष्कर्म के वैसे मामले जिसमें पीड़िता कोमा में चली जाए या जख्मी होने के कारण उसकी मौत हो जाए, इसके लिए आईपीसी की धारा 376- ए का प्रावधान किया गया है, जिसमें कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा जीवन भर के लिए उम्रकैद या फिर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के लिए आईपीसी की धारा 376 - डी का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद (अजीवन कारावास) की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर इस दौरान दुष्कर्म पीड़िता कोमा में चली जाए या उसकी मौत हो जाए तो अधिकतम फांसी की सजा लागू होगी।
- सीरियल रेपिस्ट के लिए आईपीसी की धारा 376 - ई का प्रावधान किया गया है। इसके तहत उम्रकैद जिसमें आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।
- आई० पी० सी० में छेड़छाड़ के अपराध में सजा के दायरे को बढ़ा दिया गया है और आईपीसी की धारा-354 में कई सब - सेक्शन बनाए गए हैं। इनमें कई प्रावधान गैरजमानती कर दिए गए हैं ।

1.2 प्रस्तावित अन्वेषण महत्त्व

दुष्कर्म की समस्या को सामान्य बोध की दृष्टि से देखा जाय तो यह एक प्रकार का असामान्य यौन व्यवहार एवं व्यक्तिगत रूप से किया गया अपराध प्रतीत होता है। जिसमें लिंग असमानता, लिंग भेद, जैसे दृष्टिकोण शामिल होते हैं । परन्तु समाजशास्त्री इस प्रकार के मुद्दों की व्याख्या करने के दौरान अत्यधिक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को अपनाते हैं एवं बिना पूर्वाग्रहों से ग्रसित हुए बिना सामाजिक समस्यों एवं समस्या से संबंधित कारणों की सटीक व्याख्या करते। जबकि नारीवादियों का मानना है कि दुष्कर्म एक विपथन नहीं बल्कि एक सामान्य घटना है जो लगभग हर प्रकार के समाजों में सामान्य रूप से विद्यमान रहा है। नारीवादियों का यह मानना है कि समाजशास्त्र समस्या की व्याख्या महिला एवं पुरुष से

संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण से करता है। परन्तु समाजशास्त्र में इस समस्या पर प्रकाश नहीं डाला गया है जबकि दुष्कर्म एक व्यक्तिगत समस्या होने के साथ ही साथ सामाजिक समस्या भी है, क्योंकि दुष्कर्म से न केवल पीड़िता प्रभावित होती है बल्कि परिवार एवं समाज भी प्रभावित होता है। व्यक्तिगत संबंधों के साथ साथ सम्पूर्ण परिवार की मानसिक एवं सामाजिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी समाजशास्त्र में थोड़ा बहुत कुछ मिल भी सकता है परन्तु भारतीय समाजशास्त्र में दुष्कर्म एवं दुष्कर्म संबंधी मुद्दों की पूर्णतया अनदेखी की गयी है। दुष्कर्म पर जो लेख एवं साहित्य उपस्थित भी थे उन पर पश्चिमी नारीवादी लेखनों का अत्यधिक प्रभाव था। नारीवादियों के लेखनों के माध्यम से ही दुष्कर्म संबंधी साहित्य एवं लेखन दृश्यमान होने लगे एवं दुष्कर्म संबंधी समस्याओं को इसके माध्यम से पेशेवर साहित्यिक पहचान मिली।

1.3 अध्ययन की आवश्यकता -

दुष्कर्म अपने आप में बहुत रहस्यपूर्ण प्रकृति का प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि दुष्कर्म के संबंध में समाज में अत्यधिक चुप्पी, निषेध एवं भ्रांतियां व्याप्त है। इस अध्ययन के संबंध में यह बात ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि इस सन्दर्भ में साहित्य की भारी कमी देखने को मिलती है और यदि यही अध्ययन भारत जैसे पारम्परिक समाज में किया जा रहा हो तो यह कमी अपने चरम पर देखने को मिलती है। दुष्कर्म के संबंध में व्याप्त इस निषेध चुप्पी एवं भ्रांतियों के कारण इस विषय पर आम जन की राय एवं अभिवृत्तियों का मापन करना अत्यधिक कठिन कार्य रहा है। खासकर दुष्कर्म पीड़िता एवं दुष्कर्म पीड़िता के परिवार के सदस्यों से साक्षात्कार करना सर्वाधिक दुरूह कार्य रहा है। सामाज की नकारात्मक अभिवृत्ति एवं समाज में व्याप्त दुष्कर्म मिथकों के कारण पीड़िता एवं उसके परिवार के सदस्य अत्यधिक अपमान, मानहानि एवं कलंकित हो जाने की भावना से ग्रसित रहते हैं, इस कारण आसानी से वे साक्षात्कार के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस कारण कुछ ही लोगों का साक्षात्कार किया जा सका है। इसके अलावा सामाज के लोगों की अभिवृत्ति

के मापन के दौरान भी काफी लोगों द्वारा शर्म एवं असहजता महसूस करने के कारण साक्षात्कार अनुसूची भरने को तैयार नहीं हो रहे थे। अतः इस अध्ययन को करने के दौरान किसी भी प्रकार के भ्रम, भ्रान्ति एवं अल्पज्ञता को दूर रखने के लिए इन सीमाओं के प्रकाश में ही इस अध्ययन को पूर्ण किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन के दौरान दुष्कर्म एवं दुष्कर्म पीड़िता के प्रति अभिवृत्ति का मापन अनेक अवधारणाओं, आयामों एवं परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से किया गया है। इस परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि पीड़िता के प्रति समाज की अभिवृत्ति को नकारात्मक बनाने में कौन से कारक जिम्मेदार होते ? किस प्रकार की संरचनात्मक मूल्य, संस्कृति अथवा संस्था नकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में योगदान देती है?

इन प्रश्नों के उत्तरों की खोज के साथ साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति में कैसे सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य आयामों पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। साथ ही दुष्कर्म मिथक एवं दुष्कर्म पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति किस प्रकार अपनी निरन्तरता को बनाए रखती है, दुष्कर्म एवं बलत्कार पीड़िता के प्रति जो नकारात्मक अभिवृत्ति समाज में व्याप्त रहती है उसका पुनरुत्पादन किस प्रकार होता है, इसकी गहन पड़ताल करने का प्रयास किया गया। इन सभी प्रश्नों एवं समस्याओं का हल समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ढूँढने का प्रयास किया गया है। एवं अंत में नकारात्मक अभिवृत्ति और पीड़िता के पुनर्वास के मध्य अंतर्संबंधों को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हुए नीति निर्माण एवं नकारात्मक अभिवृत्ति को सकारात्मक बनाने हेतु कुछ उपयोगी सुझाव देने का प्रयास किया गया है।

1.4 शोध समस्या

किसी भी शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए परिकल्पनाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। परिकल्पना न केवल शोध का दिशानिर्देशन करती है बल्कि सीमांकन भी करती है।

वेब्स्टर (1968) ने प्राक्कल्पना को निष्कर्ष निकालने और तर्क संगत या स्वानुभूत नतीजों का परीक्षण करने के लिए प्रयोगार्थ अनुमान कहकर परिभाषित किया है। विशेषीकृत रूप से प्रस्तुत शोध की प्रमुख परिकल्पनायें इस प्रकार हैं -

- क्या महिलाओं के अधिकार दुष्कर्म की घटनाओं के कारण चारदीवारी, घर की चैखट तक सीमित हो गये है?
- महिला विकास में दुष्कर्म की घटनाएँ किस प्रकार बाधित है?

1.5 साहित्य का पुनर्रावलोकन

एरोनोविट्स, टी, एट अल (2012) ने अपने लेख में कालेज के छात्रों के बीच यौन व्यवहार के संबंध में सामाजिक मानदंडों के मिथकों के स्वीकृति की भूमिका के संबंध में चर्चा की। अपने अध्यन में इन्होंने (237) छात्रों को शामिल किया इसमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक थी इस सर्वेक्षण में विश्वविद्यालय के छात्रों को शामिल किया गया। इस अध्ययन में यह जांच की गई कि सूचना, प्रेरणा, व्यवहार और कौशल ज्ञान दुष्कर्म मिथकों को स्वीकृत करने में किस प्रकार की भूमिका निभाता है। इस ऑनलाइन सर्वेक्षण में अधिकतर उत्तरदाताओं ने माना की नशे में पीड़ित महिला दुष्कर्म के लिए पुरुष की अपेक्षा ज्यादा जिम्मेदार होती है। एरोनोविट्स टी, एट अल ने अपने निष्कर्ष में पाया कि जिन छात्रों ने दुष्कर्म मिथकों को अधिक समर्थन दिया उन छात्राओं का यौन ज्ञान और सूचनायें भी कम थी।

सागोरकर एवं वर्मा (2014) ने अपने लेख के निष्कर्ष में लिखा है कि परिवेश में घुलती अनैतिकता व लज्जाहीन आचरण ने पुरुषों के मानस में स्त्री को भोग्या ही निरूपित किया है जो कि स्त्री के वस्तुकरण और बाजारीकरण की ओर संकेत करता है। महिलाओं के प्रति बढ़ता अपमान - जनक वातावरण भी पुरुष के दुस्साहस में वृद्धि करने में उत्प्रेरण का काम करता है। दुश्मन को सबक सिखाने, प्रेम निवेदन के ठुकराये जाने पर अपने अहं की तुष्टि हेतु भी पुरुष दुष्कर्म करता है।

कविता कृष्णनन, 2014 ने अपने लेख दुष्कर्म संस्कृति के विरुद्ध में कहा कि दुष्कर्मी पैदा नही होते, उन्हें बनाया जाता है- उस समाज द्वारा जो महिलाओं को नीचा दिखाता है और गुलाम बना कर रखता है। जब महिलाएं समाज में आगे आएंगी, शिक्षित बनेंगी, नौकरी करेंगी, सार्वजनिक जीवन (व्यापार, उद्योग, खेती, मजदूरी, राजनीति, खेल, साहित्य, कला, समाजसेवा आदि) में आगे आएंगी, तो कई बार ऐसे मौके आते हैं, जब उन्हें अकेले बाहर जाना पड़ता है। सवाल यह है कि एक ऐसा समाज क्यों नहीं बना सकते, जिसमें महिलाएं आजादी के साथ सुरक्षित घूम सकें? या आप महिलाओं को घर की चारदीवारी में ही कैद रखना चाहते हैं? घर में बंद रहने पर महिलाओं में हिम्मत और आत्मविश्वास नहीं आएगा और वे ज्यादा आसानी से शिकार बन जाएंगी।

निष्कर्ष -

दुष्कर्म एक सार्वभौमिक रूप से घटित होने वाली परिघटना है। दुष्कर्म पीड़िता के प्रति रखी जाने वाली नकारात्मक अभिवृत्ति भी सार्वभौमिक है जो भिन्नदृभिन्न प्रकार के समाजों और संस्कृतियों में भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। परन्तु इसके विपरीत मानवशास्त्रियों ने यह माना कि दुष्कर्म सभी समाजों में घटित होने वाली परिघटना नहीं है। अधिकतर समाजों में यही माना जाता रहा कि दुष्कर्म सभी समाजों में समान रूप से नहीं पाया जाता है, जब तक कि नारीवादियों ने इस संबंध में अपने विचारों को प्रकट नहीं किया था। दुष्कर्म की घटना के घटित होने के पीछे सामाजिक मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय के पांच महत्त्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रस्ताव प्रकार हैं जो महिला विरोधी हिंसा को आधार प्रदान करते हैं।

पुरुषों को महिलाओं के प्रति अपराध करने, हिंसक होने, अपशब्दावली बोलने या निर्दयी होने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है ? अपराधिक हिंसा के सम्बन्ध में तीन सम्प्रदाय इस प्रकार हैं जो महिलाओं के प्रति पुरुषों का हिंसात्मक व्यवहार और महिलाओं के प्रति पुरुषों के हिंसात्मक यौन व्यवहारों एवं अपराधों की व्याख्या करते हैं:

1. मनोविकार निदान सम्प्रदाय जो शोषक व शोषित के व्यक्तित्व के गुणों पर प्रकाश डालता है।
2. सामाजिक मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय जो व्यक्ति के दैनिक क्रियाकलापों पर बाह्य कारकों के प्रभाव पर प्रकाश डालता है।
3. आक्रामक मूल प्रवृत्ति कुण्ठा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध उपयोग की जाती है।
4. निम्न सम्मान के लोग विचलित या हिंसात्मक कार्यों द्वारा दूसरों एवं स्वयं की दृष्टि में अपनी छवि सुधारने का प्रयत्न करते हैं।

शोध में पाया कि दुष्कर्म पीड़िता को स्वयं के प्रति सकारात्मक बोध के पुनर्निर्माण हेतु अपने आस पास के लोगों के सहयोग एवं सहानुभूति की आवश्यकता होती है। दुष्कर्म पीड़िता महिलाओं के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत पीड़िता के आस पास का पूरा समाज शामिल होता है। इन्हें हम चार स्तरों में बाँट कर देख सकते हैं । प्रस्तुत शोध में हम चारों स्तरों पर पीड़िता के प्रति जो नकारात्मक अभिवृत्ति व्याप्त है उसे कम करने हेतु कुछ उपाय एवं सुझाव के संबंध में चर्चा करेंगे जो भविष्य में पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

- प्राथमिक स्तर पर पीड़िता का परिवार, नातेदार, पड़ोस, दोस्त और पीड़िता के वैवाहिक संबंधों से जुड़े संबंध शामिल होते हैं।
- द्वितीयक स्तर पर पीड़िता के न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग मसलन पुलिस, चिकित्सीय परिक्षण से जुड़े लोग. मनोचिकित्सक, वकील और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े न्यायाधीश।
- तृतीयक स्तर पर सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थान जो पीड़िता के पुनर्वास एवं विधिक सहायता प्रदान कराने का प्रयास करते हैं।

प्रस्तुत शोध में हम तीनों स्तरों पर पीड़िता के प्रति जो नकारात्मक अभिवृत्ति व्याप्त है उसे कम करने हेतु कुछ उपाय एवं सुझाव के संबंध में चर्चा करेंगे, जो भविष्य में पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

संदर्भ सूची -

1. जोशी, धनेश कुमार एवं उमेश कुमार पाठक (2013), महिला हिंसा और मीडिया: एक आलोचनात्मक अध्ययन, 'मालती' अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी ई-शोध पत्रिका, वर्ष-2, अंक-1, जनवरी-जून, पृ. 39-42।
2. जैन, अरविन्द (2015),बचपन से बलात्कार यौन हिंसाःमानसिकता और कानून,राजकमल प्रकाशन प्रा.लि.,नयी दिल्ली,जनसुलभ संस्करण।
3. जैन, कमलेश (2008) ,बलात्कार होने परःपीड़िता के लिए कानून एवं मार्गदर्शन, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राईवेट लिमटेड,नयी दिल्ली।
4. नैमिश्राय, मोहनदास (2010), दलित उत्पीड़न की परम्परा और वर्तमान, सामायिक प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 48.
5. पटेल, विभूति (2013), हिंसा व महिला सशक्तिकरण... हम सबला, जनवरी-सितम्बर, पृ. 3-5.
6. शर्मा, कल्पना (2013),समय है स्त्री द्वेषी सोच से जूझने का, हम सबला, जनवरी-सितम्बर, पृ. 32-33।
7. शर्मा, जितेन्द्र (2013), यौन अनाचार) बलात्कार (की समस्या-गाधीवादी समाधान, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थाट्स, वा.0-71, इश्यू-12, दिसम्बर, पृ. 1-12।